The final signed approval certificate can be downloaded from UP Pollution Control Board's website at http://uppcb.com/online/frmDownloadPermission.aspx

The same can also be downloaded from the state's single window portal – Nivesh Mitra, which can be accessed at http://nm.udyogbandhu.com/

(Dummy login for the portal is **ID**: <u>testentp1@gmail.com</u>, **Password**: SnLMV0PC)

The procedure is described at http://www.uppcb.com/pdf/flow_chart_24march15.pdf as well as http://nm.udyogbandhu.com/topic.aspx?Cid=6

A sample certificate is attached below.



उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी०सी०—12, वी०, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226 010

पेंजीकृत

संदर्भ संख्या....../सी-

'सी-3 / वायु प्रदूषण / 421 / सहा० / 2015

दिनॉक 16615

सेवा में,

मैं० श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम –टॉको सुन्दरपुर, तहसील–बेहट, सहारनपुर ।

विषयः वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा–21 के अन्तर्गत सहमति के सम्बन्ध में। महोदय

- 1. सहमित में दिये गये शर्तों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें ।
- 2. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु व्यवस्था का प्राविधान, संचालन एवं रख–रखाव इस प्रकार किया जाय, जिससे प्रदूषणकारी अवयवों की मात्रा बोर्ड के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हो ।
- 3 सहमित केवल वर्तमान उत्पादन क्षमता एवं वर्तमान उत्सर्जन की मात्रा के लिए ही मान्य है।
- 4 उद्योग परिसर की एम्बीऐन्ट गुणता रिपोर्ट बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से कराकर विलम्बतम एक माह में प्रस्तुत करे।
- 5. बोर्ड की स्टोन क्रेशर प्लान्ट हेतु निर्धारित गाइड लाइन दिनांक 19.01.2010 एवं संशोधित गाइड लाइन्स दिनांक 19.4.2011 का अनुपालन किया जाये।
- 6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के प्राविधानों एवं इस अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगां।
- 7. रिवर स्टोन की जल से धुलाई में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से शुद्धीकृत कर पुनः प्रयोग किया जाये।
- 8. उद्योग द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति हेतु खनन नहीं किया जायेगा। कच्चे माल की आपूर्ति उन्हीं फर्मों से की जायेगी जिन्हें वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार से पर्यावरणीय क्लीयरेन्स प्राप्त हो।

- 9. उद्योग में स्थापित पानी के फब्बारों का सतत संचालन किया जाये।
- 10 मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष रिट याचिका सं0-19628-19629/2009 दीपक कुमार व अन्य बनाम हरियाणा राज्य व अन्य एवं मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन विशेष रिट याचिका सं0-15344/2012 संजय सिंह बनाम भारत सरकार व अन्य के अधीन समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 11 .उद्योग द्वारा उत्सर्जन नियंत्रण आदि हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम–1986 के अन्तर्गत निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 12. अनुश्रवण आख्या, विन्ड ब्रेक वाल की स्थापना एवं सिंचाई विभाग से प्रभाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तृत किया जाये।
- 13. प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के साथं आन लाइन मानिटरिंग व्यवस्था स्थापित किया जाये।
- 14. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओरिजनल एप्लीकेशन नं0–196 आफ 2014 कृष्णकान्त सिंह प्रति नेशनल गंगा रिवर बेशन अथारिटी व अन्य में पारित आदेशों का अनुपालन स्निश्चित किया जाये।

इस सहमति आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमति शर्तो के होते हुए भी उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा इसके संशोधित अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तो में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, वह परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित है ।

संलग्नक : उपरोक्तान्सार

भवदीय

(डा० आर०एस० यादेव) मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-3

संदर्भ संख्या......तद् दिनॉक......तत् विनॉक.....

क्षेत्रीय अधिकारी,, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सहारनपुर को सूचनार्थ एवं प्रतिलिपि:-आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी

0/c mons



उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड टी0सी0—12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ—226 010

सहमति आदेश पत्र

संख्या <u>५</u> २१ / सहमति (वायु) आ	ादेश / 500 / 15°	लखनऊ दिनॉक— .	18/6/2015
-------------------------------------	-------------------------	---------------	-----------

विषय सहमति मै० श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम —टॉको सुन्दरपुर,, तहसील—बेहट, सहारनपुर वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21/22 के अन्तर्गत ।

1411 11.0.2015	संदर्भ :	आवेदन संख्या	शून्य	दिनॉक	11.6.2015
----------------	----------	--------------	-------	-------	-----------

वायु अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत वायु प्रदूषणकारी अवयवों के उत्सर्जन हेतु उपरोक्त संदर्भित सहमित आवेदन प्रपत्र मैं0. श्री महावीर स्टोन इण्डस्ट्रीज, ग्राम —टॉको सुन्दरपुर,, तहसील—बेहट, सहारनपुर को अपने संयंत्रो से संलग्नक में वर्णित शर्तो के अनुरूप वायुमण्डल में उत्सर्जन हेतु बोर्ड़ द्वारा अधिकृत किया जाता हैं।

- 1. यह सहमति **आदेश दिनांक 11.06.2015 से दिनांक 31.12.2015 तक की अवधि हेतु** विधि मान्य है।
- 2. इस सहमित आदेश में अंकित किसी सूचना तथा सहमित शर्तों के होते हुए भी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड़, लखनऊ वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधित अधिनियम 1987 के अन्तर्गत वर्णित किसी भी / शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड़ के लिए आरक्षित हैं।

अनुलग्नक संलग्नक (सहमति शर्ते) मुख्य पर्यावरण अधिकारी

वृत्त-3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड् लखनऊ

संलग्नव	क सहमा	ते आदेश संख्या	/ सहमति (वायु) आदेश /
		सहमति शर्ते	14.114/
1-		स की प्रतिघंटा अधिकतम उत्सर्जन मात्रा नीचे वि नहीं होना चाहिये।	देये गये चिमनियों द्वारा उत्सर्जन मात्र
2	(i) (ii) (iii) (iv) (v) 리ਧ ਸ	सम्बद्ध चिमनी ण्ड़ल में विभिन्न चिमनियों द्वारा उत्सर्जित मात्रा नि	_ _ _ _ _ !म्न मानकों के अनुरूप हो।
	(i)	सस्पैन्डेट पार्टिकुलर मैटर	प मिलीग्राम प्रतिनार्मल क्यूबिकमीटर
		(एस० पी० एम०)	
	(ii)	मेटल ड्रस्ट (आयरन, जिंक, कापर आदि)	
	(iii)	हाइड्रोजन, सल्फरट्राई आक्साइड़, सल्फेटमिन्ट	
	(iv)	सल्फर ड़ाई आक्साइड़	पी० पी० एम
	(v)	कार्बन मोनो आक्साइड	_
	(vi)	हाइड्रोकार्बन	_
	(vii)	अमोनिया	_
	(viii)	फ्लोरीन ः	_
	(ix)	मरकैप्टन	
	(x)	अन्य	_

^{3—} समय—समय पर बोर्ड़ द्वारा निर्धारित अन्य परिचालकों की मात्रा भी मानकों के अनुरूप हो।

- 4— बोर्ड द्वारा अनुमोदित वायु प्रदूषण एवं अनुश्रवण हेतु संयंत्रो का अधिस्थापना उद्योग के प्रस्तावित अथवा कार्यरत परिसर में ही हों।
- 5— बोर्ड़ के निर्देशों के अनुरूप ही उद्योग द्वारा कार्यरत प्रदूषण संयंत्रो में संशोधन अथवा प्रतिस्थापना (यदि सक्षम एवं अनुरूप न पाये गये हो) किया जा सकता हैं।
- 6— बिन्दु 4,5 एवं 7 में इंगित नियंत्रण तथा अनुश्रवण संयंत्रो के कार्यरत स्थिति में इकाई में रखा जाय।
- 7— इकाई परिक्षेत्र प्रत्येक आवश्यक स्थान पर चिमनी / स्टैक का प्राविधान बोर्ड मानकों के अनुसार किया जाय।
- 8— सहमति आदेश निर्गत किये जाने की दिनॉक के भीतर इकाई के समस्त स्टैक से हो रहे उत्सर्जन के अनुश्रवण किए जाने की सम्पूर्ण व्यवस्था की जाए। उत्सर्जन का अनुश्रवण नियमित रूप से किया जाए एवं इसकी मासिक आख्या बोर्ड़ में जमा की जाये।
- 9— (अ) उपरोक्त संदर्भित सहमित शर्तो का सम्पूर्ण अनुपालन कार्यरत इकाई के द्वारा सुनिश्चित किया जाय एवं इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुपालन आख्या सहमित आदेश प्राप्ति के..दो.माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
 - (ब) नवीन इकाई में उत्पादन तब तक न आरम्भ किया जाए जब तक सहमति आदेश की समस्त शर्तो व अनुपालन बोर्ड़ के संस्तुति के अनुसार कर लिया जाये।
- 10— किसी दुर्घटना या किसी अपिरहार्य कारणों से वायु प्रदूषित अवयवों का उत्सर्जन वातावरण से निर्धारित मानकों संदर्भित धारा—29 से अधिक होता हैं या होने की सम्भावना हो या बोर्ड एवं अन्य संस्थानो जो संदर्भित धारा 29 उत्तर प्रदेश वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) धारा 1983 वर्णित हैं, को सूचित करना चाहिए।
- 11— इकाई में कार्यरत किसी भी प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र अथवा स्टैक से किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन बिना बोर्ड़ की पूर्व अनुमित के न किया जाये।
- 12— इकाई का रख—रखाव इस प्रकार इकाई से सुनिश्चित किया जाये कि वायु प्रदूषणकारी तत्वों का उत्सर्जन स्टैक के अतिरिक्त अन्य बिन्दु से नहीं होना चाहिए।

- 13— इकाई द्वारा बोर्ड कर्मचारियों अथवा बोर्ड मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा चिमनी अथवा उक्त किसी अन्य "आउट लेट" से वायु का नमूना एकत्रित किये जाने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक सुविधाओं का प्राविधान किया जाये।
- 14— इकाई से आबादी कृषक उपज उत्पादों को कोई नुकसान होने की स्थिति में यह आवश्यक होगा कि इकाई में उत्पादन तुरन्त बन्द किया जाये तथा हटाने की सूचना को तत्काल बोर्ड़ को दी जाये।
- 15— आवेदनकर्ता/इकाई द्वारा इस सहमित आदेश में तथा भविष्य में दिये जाने वाले समस्त निर्देशों/आदेशों का अनुपालन कड़ाई से किया जाये। किसी भी समय पर दिये गये आदेश/निर्देश अथवा इस सहमित आदेश की शर्तों का अनुपालन संतोषजनक नहीं पाये जाने की स्थिति में आवेदनकर्ता/इकाई पर विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
- 16— उपरोक्त इंगित समस्त शर्ते अधिनियम के धारा 21(6) के अन्तर्गत निरस्त न किए जाने तक वैध रहेगी।
- 17— आवेदनकर्ता द्वारा सहमित नवीनीकरण हेतु सहमित आवेदन—पत्र तीन प्रतियों में जमा किया जाय। यह आवेदन पत्र पूर्व सहमित पत्र आदेश को वैधता समाप्त होने से 04 माह अथवा नवीन या प्रतिस्थापित चिमनी का कार्यन्यवन तिथि हो एवं प्रस्तावित उत्सर्जन की तिथि 04 माह पूर्व (जो भी पहले हो) जमा किया जाय।
- 18— बोर्ड के अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान उद्योग द्वारा एक निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध करा दी जायेगी।
- 19— आवेदक को निरीक्षणकर्ता / बोर्ड़ को अनुश्रवण एवं प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रो के निर्माण अधिस्थापना अथवा संचालन तथा अन्य सूचनायें जो वायु प्रदूषण नियंत्रण में सम्बन्धित ही उपलब्ध करानी होगी।
- 20— इस सहमति आदेश की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर के अपने उद्योग के डाइरेक्टर्स, प्रोपराइटर्स का पता दूरभाष संख्या की लिस्ट उपलब्ध करानी होगी।
- 21— इस आदेश में अंकित सूचना तथा शर्तों के होते हुए भी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के धारा 21 (6) में तथा इसके संशोधन अधिनियम 1987 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित किसी भी / सभी शर्तों में पुनः विचार करने के लिए जो उचित हो, परिवर्तन करने का अधिकार व शक्ति बोर्ड के लिए आरक्षित हैं।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त-3

010 1116/2015